

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 45 / 2019 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी - स्टेट बैंक
ऑफ इण्डिया, शाखा माण्डल
जिला भीलवाड़ा

उनवान
बनाम

1. श्रीमती मदीना बेगम पत्नी मोहम्मद असलम
मंसूरी एवं जावेद अख्तर पुत्र मोहम्मद
असलम मंसूरी निवासी - 819, काबरा
मोहल्ला, पीर साहेब की गली, वार्ड नं. 34,
बहाला, भीलवाड़ा

— प्रार्थी

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी- श्री एस.के. तोमर

निर्णय

दिनांक 15-2019

प्राधिकृत अधिकारी, श्री एस.के. तोमर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा माण्डल
जिला भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया।
जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की
थी। जिसमें अप्रार्थी को 10,35,040/- रुपये का ऋण दिनांक 06.02.2014 को स्वीकृत
किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अचल सम्पत्ति - रहवासी सम्पत्ति जो
आबादी, बोहरों की मस्जिद के पास, बहाला, भीलवाड़ा में स्थित है, डिड नं. 2013032816
दिनांक 18.12.2013 जो श्रीमती मदीना बेगम पत्नी मोहम्मद असलम मंसूरी एवं जावेद
अख्तर पुत्र मोहम्मद असलम मंसूरी के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 160 वर्गफीट है,
जो अप्रार्थी के स्वामित्व की है को रहन रखा गया। दिनांक 16.09.2018 तक कुल बकाया
ऋण की राशि 10,01,989/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी
द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के
अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की।
प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 27.09.2018 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है।
जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का
अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार
समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है।
प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार
पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के
आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेंगे और (ख)
प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेंगे।

2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23-2-2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



23-2-19
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
(राज.)

(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेंगे और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेंगे।